न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 41/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट**
1. श्री राधेश्याम पुत्र श्री नाथूराम जाति रेगर निवासी कुम्हारवाडा आबपर्वत तहसील आबूरोड जिला सिरोही।		सरकार जरिये तहसीलदार आबूरोड

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :
1. श्री उमाराम रेबारी अधिवक्ता अपीलांट।
2. नीरज कुमारी नायब तहसीलदार सिरोही (पैरोकार सरकार)।

निर्णय

दिनांक : 13.04.2022

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार आबूरोड द्वारा उनके मुकदमा संख्या 06/2018 में पारित निर्णय दिनांक 08.10.2018 के विरूद्ध दिनांक 26.10.2018 को प्रस्तुत की जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया गया ।

अभिलेख प्राप्त होने एवं सम्मन तामिल होने पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री उमाराम रेबारी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि तहसीलदार आबूरोड द्वारा मौजा देलवाडा पटवार हल्का देलवाडा तहसील आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नम्बर 523/128 रकबा 0.04 बीघा पर अपीलार्थी का कृषि भूमि का उपयोग व्यावसायिक/वाणिज्यिक को अवैध मान कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए सपठित धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया जो नोटिस अपीलांट को तामिल करवाया गया जिसे अपीलांट पर तामिल मानते हुए उसे उपस्थित बताकर निर्णय पारित कर दिया । अपीलांट को हाजिर बताते हुए निर्माण को भौतिक रूप से ध्वस्त करने एवं रूपये 50/– का जुर्माना आरोपित करने के आदेश पारित किये गये, जो कानूनी रूप से उचित एवं विधिसम्मत नही है। यह है कि [illegible] की मालिकी एवं स्वामित्व की कृषि आराजी खसरा नम्बर 523/128 रकबा 0.04 बीघा के 50वें भाग से भी कम भूमि पर धारा 66 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत भू–सुधार [illegible] एवं उस पर कृषि कार्य हेतु निर्माण कार्य करने हेतु किसी भी प्रकार की कानूनी रोक नहीं है। यह है कि अपीलांट द्वारा उक्त कृषि भूमि पर कोई व्यावसायिक व वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन नहीं किया है एवं उक्त भूमि पर एक कमरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:29:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

कृषक के आवासीय भवन के लिए 10×10 वर्गफीट का बनाया गया है जो व्यावसायिक व वाणिज्यिक गतिविधि में नहीं आता है एवं अपीलांट द्वारा पशु प्रजनन के रूप में एक रेबिट हाउस खोला हुआ है, जिसके लिए स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती है एवं न ही उसे गैर कृषि प्रयोजन में माना गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि अपीलांट के पूर्व रसाधिकारियों द्वारा उक्त भूमि को कृषि से गैर कृषि में संपरिवर्तित करने के लिए दिनांक 09.10.2001 को नगरपालिका आबूपर्वत में एक आवेदन किया हुआ है, जिसकी रसीद नम्बर 7408/75 है एवं इसकी प्रति अधीनस्थ न्यायालय में भी प्रस्तुत की गई थी। यह है कि अपीलांट की उक्त भूमि पर पडौसी खातेदार श्री प्रेमसिंह व अन्य सवर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण करने पर अपीलांट ने श्रीमान सहायक कलक्टर आबूपर्वत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत ने वाद सुनवाई दिनांक 31.01.2014 को यह आदेश पारित किया कि उक्त भूमि पर प्रेमसिंह का अवैध कब्जा/निर्माण है, जिसे हटाने के आदेश दिए थे एवं अधीनस्थ न्यायालय को पालना रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का देलवाडा की रिपोर्ट को सही मानकर उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी द्वारा बिना पूर्वानुमति के निर्माण कार्य किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में किसी तरह की कोई कानूनी त्रुटि नहीं की गई है । पटवारी हल्का देलवाडा की रिपोर्ट के आधार पर ही उक्त निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट को पेशी का नोटिस तामिल शुदा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है। अपीलान्ट आदतन अतिक्रमी है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज किया जाना फरमावें।

मैनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया [illegible] न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो मैं [illegible] अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कृषि भूमि पर बिना [illegible] करवाए व्यावसायिक/वाणिज्यिक उपयोग को अवैध मानकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए सपठित धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। तामिल कुनिन्दा द्वारा तामिल शुदा नोटिस अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:29:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

की पत्रावली मे मौजूद है एवं अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में भी अपीलांट ने स्वयं के हस्ताक्षर कर उपस्थिति दर्ज की है। अतः अपीलान्ट अधिवक्ता का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का देलवाडा की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट द्वारा मौजा देलवाडा पटवार हल्का देलवाडा के खसरा संख्या 523/128 रकबा 0.04 बीघा पर अपीलांट ने बिना पूर्वानुमति से अवैध निर्माण कर कृषि भूमि का व्यावसायिक/वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है। यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 66 के अनुसार भूमिधारियों को भूमि के क्षेत्रफल का 1/50 वां भाग में उपरोक्त परिभाषित सुधार का अधिकार प्रदत्त है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया है कि अपीलांट द्वारा कृषि भूमि पर किस प्रकार का व्यावसायिक/वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है एवं कितने क्षेत्रफल पर किया जा रहा है एवं न ही पटवारी हल्का देलवाडा द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी इस कथन को स्पष्ट किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट अधिवक्ता द्वारा किया गया कथन कि अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर एक कमरा कृषक के आवासीय भवन के लिए 10×10 वर्गफीट का बनाया गया है, जिसमें पशु प्रजनन के रूप में एक रेबिट हाउस खोला हुआ है, मानने योग्य प्रतीत होता है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए सपठित धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया था। अतः धारा 90ए के तहत कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग के संबंध में है परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलांट द्वारा विवादित भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कितने क्षेत्रफल पर किया जा रहा है एवं क्या व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, स्पष्ट नहीं होने से उक्त निर्माण पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90ए सपठित धारा 91 के प्रावधान लागू नहीं होना प्रतीत होता है। यह है कि अपीलांट अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ने विवादित भूमि पर उक्त निर्माण कुक्कुट पालन हेतु करवाया था जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने भी यह सिद्ध नहीं किया है कि अपीलांट द्वारा उक्त निर्माण कार्य गैर कृषि प्रयोजनार्थ किया [illegible] एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(2) के तहत कृषि [illegible] पशुपालन, दुग्धशाला और कुक्कुट पालन तथा वन विकास को सम्मिलित मानकर परिभाषित किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित करने में साक्ष्यों को नहीं देखा गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:29:19 IST
Reason: SelfAttested

B/16
ला कलक्टर, सिरोही

अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुकदमा संख्या 06/2018 में पारित निर्णय दिनांक 08.10.2018 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मौके पर किए गए निर्माण कार्य की जांच कर एवं अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नियमानुसार निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:29:19 IST
Reason: SelfAttested